HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 41573 of 2026

Ambuj Shukla

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 5 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Sudhir Kumar
Counsel for Respondent(s)	:	Azad Rai, C.S.C.

Court No. - 37

HON'BLE CHANDRA KUMAR RAI, J.

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार, श्री मेवालाल गुप्ता, राज्य सरकार की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा श्री आज़ाद राय, विद्वान अधिवक्ता ग्राम सभा को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु दायर की गयी है:

***"(1).* श्रद्धेय न्यायालय द्वारा परमादेश प्रकृति में आदेश, अथवा निर्देश पारित कर विपक्षी संख्या 2 -अपर आयुक्त (न्यायिक) प्रयागराज मण्डल प्रयागराज को निर्देशित किया जावे कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत (विचाराधीन) निगरानी संख्या 0677/2024, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या *C 202402000000677,* बमुकदमा अनन्त लाल बनाम अनूप कुमार यादव आदि, अन्तर्गत धारा 219 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, पर यथा शीघ्र सुनवाई हेतु उचित आज्ञा पारित किये जाने हेतु आज्ञा पारित किये जाने की अनुकम्पा की जावें ।**

***(11).* श्रद्धेय न्यायालय द्वारा आदेश निर्देश अथवा सिद्धान्त पारित कर परमादेश प्रकृति में अन्य जो भी उपशम आदेश न्यायालय की सहमति में उचित प्रतीत हो। याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किये जाने की अनुकम्पा की जावें ।"**

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त **निगरानी संख्या *0677/2024,* कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या *C 202402000000677,* बमुकदमा अनन्त लाल बनाम अनूप कुमार यादव आदि, अन्तर्गत धारा 219 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006** विपक्षी संख्या-02 के समक्ष वर्ष 2024 से **विचाराधीन** है। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सम्बन्धित अवर न्यायालय के आदेश पत्रक का विवरण याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न की गयी है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की सुनवाई शीघ्रतया आगे नहीं बढ़ रही है।

4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, **विपक्षी संख्या 2 / अपर आयुक्त (न्यायिक) प्रयागराज मण्डल प्रयागराज** को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त **निगरानी** को कानून के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद शीघ्रताशीघ्र इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन **महीने** की अवधि के भीतर निस्तारित करें।

5. तदनुसार वर्तमान रिट याचिका का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

October 29, 2026
PS*

(Chandra Kumar Rai,J.)

Digitally signed by :-
PRITI SHARMA
High Court of Judicature at Allahabad